सीख : 600 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने के बाद भोपाल से सीख ले रहा अब निगम

शासन के बजाय अब खुद का अपडेट पोर्टल बनाएगा इंदौर नगर निगम

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

इंदौर नगर निगम पिछले पांच साल से ई-पालिका पोर्टल के जाल में उलझा हुआ था। जब सायबर अटैक से 600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ तो निगम की आंख खुली और अब भोपाल की तर्ज पर अपना खुद का पोर्टल बनाने की ओर कदम बढ़ाया। अब निगम फिर से अपनी सेवाओं के लिए अपना अपडेट नया पोर्टल बनाएगा। बता दें कि निगम के पास साल 2018 से पहले अपना खुद का पोर्टल था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए ई-पालिका पोर्टल से जुड़ने के लिए इंदौर नगर निगम ने इसे खत्म कर दिया था। इसका डेटा शिफ्ट करने में ही करीब दो साल लग गए थे।

इस मामले में भोपाल नगर निगम भाग्यशाली रहा, क्योंकि उसने अपने यहां ई-पालिका पोर्टल की व्यवस्था लागू ही नहीं होने दी और करोड़ों रुपए के नुकसान से भी बच गया। बीते साल दिसंबर 2023 में ई-पालिक पोर्टल पर सायबर अटैक हुआ था, जिसके कारण पूरे इंदौर को 600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठना पड़ा था। अब पुनः पोर्टल निर्माण के लिए नगर निगम लाखों रुपए खर्च करने जा रहा है।

फाइल फोटो

इंदौर हुआ ई-पालिका के बंधन से मुक्त

अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इंदौर नगर निगम का नया पोर्टल कैसा होगा इस संबंध में बैठक जल्द बुलाई जाएगी। हमारा प्रयास है पोर्टल आधुनिकतम हो, साथ ही सायबर सुरक्षा हमलों से भी प्रोटेक्ट रहे। शहरवासी आसानी से एक्सेस कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। मिश्रा ने बताया कि शासन से नया पोर्टल बनाने के लिए शर्तानुसार अनुमति दी गई है, साथ ही इंदौर को भविष्य में ई-पालिका पोर्टल से जुड़ने के विकल्प के साथ मुक्त कर दिया है।

एक माह में शुरू होगा

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नगर निगम को अपना पोर्टल बनाने की अनुमति मिल गई है। एक माह में पोर्टल तैयार हो जाएगा, जिसमें निगम से संबंधित सेवाओं के साथ राजस्व भुगतान की व्यवस्था रहेगी। शहरवासियों के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध होने से वे स्वयं अपना संपत्तिकर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क सहित अन्य टैक्स जमा कर सकेंगे।

ई-पालिका पोर्टल पर नहीं मिलती थी कोई छूट

ई-पालिका पोर्टल पर निगम परिषद द्वारा स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली छूट नहीं मिलती थी। इंदौर नगर निगम 2018 के पहले एडवांस टैक्स जमा करने पर इनामी योजना चलाता था, लेकिन ई-पालिका पोर्टल पर छूट नहीं होने कारण यह योजना बंद करनी पड़ी। साथ ही घर के आगे पांच पेड़ लगाने पर संपत्तिकर में भी छूट दी जाती थी।

> ई-पालिका पोर्टल के कारण इंदौर को लगातार राजस्व हानि हो रही थी। बकाया टैक्स की सही जानकारी नहीं मिलने के कारण टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को टैक्स बाकी होने के मैसेज जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नया पोर्टल बनाने की अनुमति निगम को दी है, जिससे शहरवासी निगम की सेवाओं का लाभ सुलभता से उठा सकेंगे।
>
> – पुष्यमित्र भार्गव, महापौर

पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का डीएवीवी में प्रदर्शन

प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता डीएवीवी में प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के पूर्व विवि में भारी पुलिस बल तैनात था। बता दें कि एनएसयूआई द्वारा विभिन्न कॉलेजों की अनियमितता को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में एनएसयूआई द्वारा आज उग्र आंदोलन किया गया और कुलपति के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन में मुख्य रूप से विकास नंदवाना (विश्वविद्यालय प्रभारी), रजत सिंह पटेल (अध्यक्ष इंदौर), प्रिंस हार्डिया (पूर्व प्रदेश महासचिव) सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

इंडिगो ने फिर निरस्त की सुबह की दिल्ली उड़ान

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

इंडिगो से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को बीते कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने मंगलवार को अपनी दिल्ली उड़ान को एक बार फिर से निरस्त कर दिया।

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की उड़ान (6ई-131) दिल्ली से सुबह 10.35 बजे इंदौर आकर 11.05 बजे वापस दिल्ली जाती है, लेकिन मंगलवार सुबह कंपनी ने इस उड़ान को निरस्त कर दिया। कंपनी ने इसे ऑपरेशनल कारणों से उड़ान को निरस्त करने की बात कही है। प्रबंधन का कहना था कि जानकारी पूर्व में ही यात्रियों को देते हुए उन्हें रिफंड और रिबुकिंग का विकल्प दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी जानकारी के अभाव में सुबह कई यात्री एयरपोर्ट पहुंचे और परेशान हुए।

6 घंटे देरी से गई अलायंस एयर की दिल्ली उड़ान- एयर लाइंस अलायंस एयर की दिल्ली जाने वाली उड़ान अपने तय समय से 6 घंटे देरी से गई। सोमवार रात 8 बजे इंदौर से दिल्ली जाने वाली कंपनी की उड़ान रात पौने 2 बजे रवाना हुई। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी किया। उड़ान संख्या 9आई-627/628 शाम 7.40 बजे दिल्ली से इंदौर आकर 8.05 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होती है, लेकिन सोमवार को यह उड़ान दिल्ली से तय समय से करीब साढ़े पांच घंटे देरी से रात 1.10 बजे आई और यहां से यात्रियों को लेकर 1.45 बजे रवाना हुई। कंपनी ने उड़ान लेट होने को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। वहीं, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में विमान खराब हो जाने के कारण सुधार के बाद यह देरी से आ पाया। इधर, विमान से जाने के लिए यात्री शाम से एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए थे। देर रात तक इंतजार करने पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर कंपनी ने यात्रियों के लिए खाने-पीने का प्रबंध करने के साथ ही रिफंड और रिबुकिंग का विकल्प भी दिया।

फाइल फोटो

जनसुनवाई में समस्या लेकर पहुंची महिला बोली- लाइट हाउस में करंट

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

बिचौली मर्दाना क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रीकास्ट तकनीक के माध्यम से फ्लैट का निर्माण किया गया था। इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने देश के 6 शहरों में लांच किया था, साथ ही यह बताया था कि इमारत पर भूकंप का असर नहीं होगा, लेकिन मंगलवार को जनसुनवाई में यहां रहने वाली सिमरन कौर ने शिकायत की है कि फ्लैट में बारिश का पानी आ रहा है और घर की दीवारों से करंट आ रहा है।

सिमरन ने बताया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण में लापरवाही की गई। ठेकेदारों ने कम कीमत में मकान बनाने के लिए क्वालिटी से समझौता किया है, क्योंकि फ्लैट की कुल कीमत ही 6 लाख रुपए है। बारिश के दौरान पानी घर के अंदर आ रहा है। दीवारों से करंट आता है, जिससे जान को जोखिम है। स्वीच बोर्ड में पानी के कारण शॉर्ट-सर्किट हो गए हैं। टायलेट की टाइल्स खराब हो रही है। पूरी इमारत एक स्ट्रक्चर पर खड़ी है। दीवारों के जोड़ उखड़ रहे हैं। महिला ने पालिका प्लाजा स्थित पीएम आवास के कार्यालय के साथ ही जनसुनवाई में एडीएम को भी शिकायत की है।

फाइल फोटो

> महिला द्वारा की गई शिकायत गंभीर है। मकान महंगा हो या सस्ता इससे फर्क नहीं पड़ता। पीएम आवास योजना के तहत बना है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पूरी इमारत की जांच करवाई जाएगी।
>
> - मनोज चौरसिया, अपर आयुक्त

---

29 रेंजर, 13 प्रोजेक्ट रेंजर और सात बने सहायक वन संरक्षक

राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 का रिजल्ट घोषित

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9009585701

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने मंगलवार को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2021 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 8 सहायक वन संरक्षक और 42 वनक्षेत्र, प्रोजेक्ट रेंजर के 15 पद रखे गए थे।

ओबीसी आरक्षण के चलते आयोग ने दो भागों में रिजल्ट बनाया है, जिसमें 87 प्रतिशत मुख्य भाग निकाला, जबकि 13 प्रतिशत का रिजल्ट रोक दिया है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद एमपीपीएससी ने पिछले साल 22 नवंबर को परिणाम घोषित किए थे। 27 मई से 30 मई तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। 87/13 फार्मूले का उपयोग करते हुए आयोग ने मुख्य सूची (87 प्रतिशत) में उम्मीदवारों के परिणाम घोषित किए। रेंजर पदों के लिए कुल 29 और प्रोजेक्ट रेंजर पद के लिए 13 और सहायक वन संरक्षक पद के लिए सात उम्मीदवारों का चयन किया है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
फाइल फोटो

खुले चेंबर के कारण दुर्घटना का शिकार हुई युवती, रामकी पर लगाई एक लाख पेनल्टी

महापौर ने उठाया कड़ा कदम, उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

शहर की सड़कों पर वाहन चलाना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि सड़क पर कहां गड्ढा होगा, कहां चेंबर खुला होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ऐसा ही कुछ 18 जून 2024 को मानवता नगर में अदिति चौहान के साथ हुआ। वो स्कूटी सहित खुले चेंबर में जा गिरी जिसके बाद उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्त एक्शन लेते हुए निगम अधिकारियों और रखरखाव के लिए जिम्मेदार रामकी कंपनी पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया।

गड्ढों के आसपास बैरिकेड्स लगाएं

भार्गव ने बताया कि कनाड़िया रोड स्थित चेंबर पर ढक्कन नहीं लगे होने के कारण दुर्घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने शहर में काम करने वाली सभी एजेंसियों को निर्देश दिए कि जहां भी गड्ढे खोदे गए हैं, वहां सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएं। गड्ढे समय पर भरें।

उपयंत्री पर लग सकता है पांच हजार रु. का जुर्माना

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा इस गंभीर घटना को देखते हुए चेंबर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. हैदराबाद पर एक लाख रुपए की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। इसके साथ ही वार्ड की उपयंत्री सुष्मिता कर्णिक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि उक्त घटना की लापरवाही के लिए क्यों ना आप पर 5000 रुपए का दंड लगाया जाए। इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

मानसून के लिए करना पड़ेगा इंतजार, उमस और गर्मी बढ़ी

शिवाजी वाटिका पर मौसम का कुछ ऐसा नजरा था...इंतजार बारिश का। फोटो : विशाल

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9009585701

इस साल मानसून की शुरुआत के लिए शहरवासियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आने वाली पछुआ हवाओं के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून धीमा हो गया है। अब शहर में मानसून की शुरुआत 26 जून तक होने की उम्मीद है। इंदौर में 24 घंटों में मौसम बदला है। सोमवार रात हुई बारिश के बाद दिन और रात के तापामान में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार सुबह से मौसम साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक था। वहीं, रात का तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री अधिक था। मानसून के आगमन में इस देरी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग गर्मी और उमस से परेशान होते रहे। अगले चार दिनों के लिए इंदौर और उज्जैन संभाग के कई हिस्सों के लिए यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

यूएन पीआरएमई की पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग में आईआईएम इंदौर 5वें नंबर पर

लेवल-5 बिजनेस स्कूलों में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता के शिखर पर पहुंचा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9009585701

भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने संयुक्त राष्ट्र पीआरएमई द्वारा सकारात्मक प्रभाव रेटिंग-2023 के स्तर-4 श्रेणी में स्थान प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह रैंकिंग संस्थान की अग्रणी बिजनेस स्कूल के रूप में स्थिति को मजबूत करती है। पिछले साल के लेवल 4 की मान्यता से ऊपर आने की यह उन्नति आईआईएम इंदौर की निरंतर वृद्धि दर्शाती है। आईआईएम इंदौर अब पायनियरिंग स्कूल्स कैटेगरी में शमिल है और यह दुनियाभर के केवल छह संस्थानों में से एक है, जिसे लेवल 5 प्राप्त हुआ है।

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर
फाइल फोटो

आईआईएम इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि

इस वर्ष के पीआईआर ने 30 देशों के बिजनेस स्कूलों के सामाजिक योगदान का मूल्यांकन किया। रेटिंग की घोषणा मंगलवार को प्रो. थॉमस डायलिक, पीआईआर सुपरवाइजरी बोर्ड, पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग एसोसिएशन और ओइकोस इंटरनेशनल की कैरोलिन लेमके ने की। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मान्यता हमें ऐसे जिम्मेदार प्रबंधकों और लीडरों को आकार देने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है जो सार्थक बदलाव ला सकते हैं। आईआईएम इंदौर की लेवल 5 तक की यात्रा महत्वपूर्ण पहलों और परिवर्तनकारी कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित की गई है

डीएवीवी और ताईवान के विश्वविद्यालयों के बीच हुआ एमओयू, अंतरराष्ट्रीय सिंपोजियम सेमिनार आयोजित

सेमी-कंडक्टर और चिप डिजाइन क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे : सीएम

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9009585701

विश्व में सेमी-कंडक्टर और चिप डिजाइन क्षेत्र के सिरमौर ताईवान के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए किए जा रहे एमओयू से मप्र के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। डीएवीवी ने ताईवान के छह अलग-अलग विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया है। राज्य सरकार की हरसंभव कोशिश होगी कि ताईवान के साथ प्रदेश के संबंध प्रगाढ़ हों और शासन स्तर पर एमओयू क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं आए। ये बात डीएवीवी में आयोजित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिंपोजियम सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कही। मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में इंदौर में आई-शु यूनिवर्सिटी ताईवान तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद तथा भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।

पर्यावरण संरक्षण में निभाएंगे सक्रिय भूमिका

विवि एवं ताईवान के पांच विवि के साथ हुए एमओयू की श्रृंखला में सेमिनार आयोजित किया गया। अतिथियों का स्वागत कुलसचिव डॉ. अजय वर्मा ने किया। कुलगुरु डॉ. रेणु जैन ने बताया कि यह सिंपोजियम ताईवान के विश्वविद्यालयों एवं देवी अहिल्या विवि के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसका उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं है, अपितु परिवर्तन लाना है। इन एमओयू के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान डीएवीवी एवं आई शु यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू भी किए गए। अध्यक्षता कर रहे टीईसीसी के शिक्षा निदेशक पिटर्स चेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि ताईवान की जनसंख्या भारत की तुलना में काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर युद्धस्तर पर काम हुआ है। अब पूरा ध्यान जीरो कार्बन उत्सर्जन पर है। मुख्य वक्ता डॉ. गुर्योन कॉन्ग ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से पर्यावरण को क्षति पहुंची है। विश्व के कई देशों ने जीरो कार्बन उत्सर्जन की समय सीमा तय कर ली है, जिससे धरती के मूल स्वरूप को बचाया जा सके।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय : महाराष्ट्र साहित्य सभा भवन, 688, म.गां. मार्ग, इन्दौर, फोन नं. 0731-2433887
E-mail : cmmarc_ind@mahabank.co.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे-5

अचल सम्पत्तियों के आधिपत्य की सूचना नियम 8(1)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (54 का 2002) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम की धारा 13(12) सपठित नियम 8 के अंतर्गत निम्न ऋण गृहिताओं को उन के सम्मुख **अंकित तिथि को मांग नोटिस** जारी कर नोटिस प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अन्दर बैंक के नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/दस्ती/कोरियर द्वारा भेजी गई थी। बकायादारों / जमानतदारों एवं सर्वसाधारण जनता को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक संपत्ति पर उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिसका विवरण निम्न है ऋणगृहिताओं / जमानतदारों को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार / शाखा का नाम	बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना पत्र दिनांक धारण तिथि
01.	उधारकर्ता श्री बनवारी कुशव ाह पिता श्री सवाईलाल कुशवाह शाखाः पलासिया इंदौर	29,60,882.00 + दिनांक 15.03.2024 से अनावेदित ब्याज	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग व भाग प्लॉट क्रमांक 3575 का मध्य भाग पर स्थित भूमि, सेक्टर ई, सुदामा नगर, इंदौर उप जिला इंदौर जिला इंदौर, क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। (संपत्ति मालिकः श्री बनवारीलाल कुशवाह पिता श्री सवाईलाल कुशवाह), **चतुसीमाः पूर्वः** मकान कमांक 3575 का शेष भाग, **पश्चिमः** मकान कमांक 3575 का शेष भाग, **उत्तरः** गली, **दक्षिणः** सड़क	14.03.2024 15.06.2024

सुरक्षित सम्पत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के आधार पर उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।
नोट : यह सूचना अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में प्रकाशित की गई है किसी विवाद कि स्थिति में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सूचना की मान्य होगी।

स्थानः इन्दौर, दिनांक : 18.06.2024
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ICICI Home Finance
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालयः कार्यालय नं.106, प्रथम मंजिल, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा इंदौर-452001

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]
अचल संपत्ति के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 नियमावली के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस,
एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा;

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	राजेन्द्र कुमार गर्ग (उधारकर्ता) संध्या गर्ग, कुशल गर्ग (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता सं. LHDMN00001278049 एवं NHIND00001320780	सर्वे भाग नं. 98/9, ग्राम गुलीझरा, तहसील धरमपुरी, धार, मध्य प्रदेश-454552	रू. 1,91,23,705/- जून 13, 2024	रू. 81,45,000/- रू. 8,14,500/-	जुलाई 15, 2024 11:00 AM 03:00 PM	जुलाई 24, 2024 02:00 PM 03:00 PM

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक की वेबसाइट (यूआरएल लिंक-https://BestAuctionDeal.com) पर आयोजित की जाएगी।
गिरवी रखने वालों/नोटिस को 23 जुलाई 2024, सायं 05.00 बजे से पहले तक अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।
संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कार्यालय नं.106, प्रथम मंजिल, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा इंदौर-452001** में 23 जुलाई 2024 को शाम 04:00 बजे तक या उससे पहले बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कार्यालय नं.106, प्रथम मंजिल, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा इंदौर-452001** को 23 जुलाई 2024 या उससे पहले 05.00 बजे से पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) धार में देय "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।
निरीक्षण, नीलामी के नियमों और शर्तों या निविदाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 या हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड पर संपर्क करें।
प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें https://www.icicihfc.com/

दिनांक : जून 19, 2024
स्थान : धार
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड